

(1) दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 119/10

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)  
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य )

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 119/10  
संस्थापन दिनांक-15/03/10

1. मंगलसिंह पुत्र वंशी उम्र 35 वर्ष  
जाति कुशवाह निवासी ग्राम सिरसौदा  
थाना व तहसील गौहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

-----पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

वि रु द्ध

म.प्र. शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद,  
जिला भिण्ड म.प्र.

-----प्रतिपुनरीक्षणकता/अनावेदक

-----  
न्यायालय-श्री सुशील कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गौहद  
जिला-भिण्ड के प्रकरण क्रमांक-261/06 ई.फौ. पुलिस गोहद  
बनाम रामदास सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 20/01/10 से  
उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण  
-----

-:- आ दे श -:-

(आज दिनांक 28 अक्टूबर 2014 को पारित किया गया)

01. उक्त पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी मलखानसिंह की और से धारा 399 द0प्र0सं0 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री सुशील कुमार द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 261/06 में पारित आदेश दिनांक 20/1/10 से व्यथित होकर पेश की गई है, जिसमें विद्वान जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय द्वारा आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध धारा 420, 467, 471 भा0द0सं0 के तहत अपराध का संज्ञान लिया है ।
02. प्रकरण में यह निर्विवादित है वर्तमान में दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 261/06 जे0एम0एफ0सी0 श्री केशवसिंह के न्यायालय में आरोपी नाहर की फौती रिपोर्ट के लिये विचाराधीन चल रहा है ।
03. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादी भगताराम उर्फ बी0पी0 गोपाल की लेखीय रिपोर्ट पर से

थाना गोहद में आरोपीगण रामदास आदि के विरुद्ध अप0क्र0 189/04 धारा 420, 467, 471 भा0द0सं0 पंजीबद्ध किया गया था जिसका अभियोगपत्र जे0एम0एफ0सी0 गोहद के न्यायालय में प्र0क्र0 261/06 शासन वि0 रामदास आदि के रूप में संचालित है जिसमें उसका नाम अभियोगपत्र की आरोपी सूची में समाविष्ट नहीं था, किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20/1/10 को आलोच्य आदेश पारित करते हुये उसे भी आरोपी के रूप में शामिल कर लिया है, जो कि विधि विधान के प्रतिकूल होकर निरस्तगी योग्य है, क्योंकि उसके विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है, और जिस कथित बटवारों के आधार पर संज्ञान लिया गया है उसमें उसका कोई दोष नहीं है वह गरीब अशिक्षित व्यक्ति है, इसलिये पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर उसे आलोच्य आदेश अपास्त कर उन्मोचित किया जाये ।

04. उक्त पुनरीक्षण याचिका के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:—

- 1— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्र0क्र0 261/06 में दिनांक 20/1/10 को पारित आलोच्य आदेश अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
- 2— क्या आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता धारा 420, 467, 471 भा0द0सं0 में उन्मोचित किये जाने योग्य है?

#### —::— निष्कर्ष के आधार —::—

05. पुनरीक्षणकर्ता की और से मूल आधार केवल अभियोगपत्र की अभियुक्त सूची में उसका नाम ना होने के आधार पर आलोच्य आदेश को चुनौती दी गई है । आलोच्य आदेश का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि, प्रकरण के फरियादी भगताराम की और से दिनांक 26/3/09 को प्रस्तुत आवेदन पर से सुनवाई कर गुणदोष पर आदेश पारित किया गया है, और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि, आरोपी का नाम लिपिकीय भूल से छूट गया था क्योंकि फरियादी द्वारा जो रिपोर्ट की गई थी उस लेखीय रिपोर्ट की जांच पर से एफ0आई0आर0 पंजीबद्ध हुई थी, जिसमें क्रमांक-17 पर मलखान पुत्र वंशी कुशवाह का नाम अंकित था और एफ0आई0आर0 में सहवन लिखने से रह गया है। अभियोजन की और से लिपिकीय त्रुटि से नाम छूटना बताया गया है । पुलिस गोहद के द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 261/06 का अभियोगपत्र 34 आरोपियों के

विरुद्ध पेश किया गया था तथा जमीन के बटवारों से संबंधित दस्तावेज की कूट रचना बताई गई , जिसका गुणदोषों पर ही साक्ष्य उपरांत निराकरण संभव है जो मूल प्रकरण में सामग्री संकलित है उससे सरल क्रमांक 19 पर मलखान का नाम होना पाया जाता है ऐसे में यह कहना कतई उचित नहीं है कि अभियोगपत्र में पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी मलखानसिंह का नाम समाविष्ट नहीं है, और लिपकीय भूल के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता किसी अपराध से उन्मोचित किये जाने योग्य नहीं होते हैं ।

06. ऐसी स्थिति में जिस आधार पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है वह विधिक बल नहीं रखती है । आलोच्य आदेश में कोई अवैधानिकता, अनियमितता, औचित्यहीनता नहीं पाई जाती है । फलतः आलोच्य आदेश की पुष्टि करते हुये प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका सारहीन पाते हुये निरस्त की जाती है ।

07. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख अग्रिम कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जावे कि वे प्रकरण में शीघ्रता से निराकरण हेतु कार्यवाही करेंगे ।

दिनांक 28/10/2014

आदेश मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में पारित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गौहद जिला भिण्ड म0प्र0